पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : **http:/www.pfcindia.com**

सीआईएन एल65910डीएल1986जीओआई024862

भाग I: दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(` करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्टैंडअलोन			समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन		समेकित रूप से वर्ष को समाप्त वाले	
		31-03-2016 (अनंकेक्षित)	31-12-2015 (अनंकेक्षित)	31-03-2015 (अनंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित)	31-03-2015 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित)	31-03-2015 (अंकेक्षित)
1)	प्रचालन से होने वाली आय							
	(क) प्रचालन से होने वाली आय	6,608.14	6,870.58	6,331.18	27,079.44	24,586.10	27,099.83	24,589.98
	(ख) अन्य प्रचालन आय	96.85	120.70	59.35	394.21	276.27	680.38	363.95
	प्रचालन से कुल आय (निबल)	6,704.99	6,991.28	6,390.53	27,473.65	24,862.37	27,780.21	24,953.93
2)	व्यय							
	(क) ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभार	4,779.95	4,622.61	4,194.68	18,212.83	16,314.60	18,385.24	16,326.86
	(ख) कर्मचारी लाभ व्यय	21.43	23.48	19.42	90.37	85.81	106.63	101.47
	(ग) मूल्यह्रास और ऋणमोचन	1.74	1.68	1.60	6.17	6.09	20.08	7.92
	(घ) अन्य व्यय	14.09	11.11	6.91	194.28	123.12	206.72	130.81
	कुल व्यय	4,817.21	4,658.88	4,222.61	18,503.65	16,529.62	18,718.67	16,567.06
3)	अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से लाभ (1-2)	1,887.78	2,332.40	2,167.92	8,970.00	8,332.75	9,061.54	8,386.87
4)	अन्य आय	82.00	2.82	31.92	90.66	45.48	105.56	59.00
5)	असाधारण मदों से पहले साधारण कार्यकलापों से लाभ (3+4)	1,969.78	2,335.22	2,199.84	9,060.66	8,378.23	9,167.10	8,445.87

6)	असाधारण मदें		--	--	--	--	--	--	--
7)	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (5+6)		1,969.78	2,335.22	2,199.84	9,060.66	8,378.23	9,167.10	8,445.87
8)	कर संबंधी व्यय		710.13	752.90	639.08	2,947.18	2,418.90	2,983.10	2,441.47
	(क)	आयकर के लिए प्रावधान							
		चालू वर्ष	677.04	735.95	684.63	2,822.26	2,502.42	2,857.89	2,525.38
		पूर्ववर्ती वर्ष	12.54	0.00	0.46	12.11	0.46	12.11	-0.18
	(ख)	आस्थगित कर देयता / आस्थगित कर परिसंपत्ति (-)	20.55	16.95	-46.01	112.81	-83.98	113.10	-83.73
9)	कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निबल लाभ (7-8)		1,259.65	1,582.32	1,560.76	6,113.48	5,959.33	6,184.00	6,004.40
10)	असाधारण मदें (कर संबंधी निबल व्यय-शून्य)		--	--	--	--	--	--	--
11)	अवधि के लिए निबल लाभ (9-10)		1,259.65	1,582.32	1,560.76	6,113.48	5,959.33	6,184.00	6,004.40
12)	सहयोगियों के लाभ / (हानि) की हिस्सेदारी		--	--	--	--	--	--	--
13)	अल्पसंख्यक हित		--	--	--	--	--	--	--
14)	कर पश्चात, अल्पसंख्यक हित और सहयोगियों के लाभ / (हानि) की हिस्सेदारी के बाद निबल लाभ (11+12+13)		1,259.65	1,582.32	1,560.76	6,113.48	5,959.33	6,184.00	6,004.40
15)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 10 रू. है)		1,320.04	1,320.04	1,320.04	1,320.04	1,320.04	1,320.04	1,320.04

16)	पुनर्मूल्यांकन संबंधी आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (31 मार्च को अंकेक्षित तुलन पत्र की स्थिति के अनुसार)		--	--	--	34,445.99	30,899.17	34,708.27	31,091.31
17)	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (रू. में)								
	(क)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पहले) (रू. में)	9.54	11.99	11.83	46.31	45.15	46.85	45.49
	(ख)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (रू. में)	9.54	11.99	11.83	46.31	45.15	46.85	45.49
18)	इक्विटी अनुपात		--	--	--	5.61	5.83	--	--
19)	डिबेंचर ऋणमोचन के लिए आरक्षित निधि		--	--	--	1,172.55	856.28	--	--
20)	निबल मूल्य		--	--	--	35,766.03	32,219.21	--	--
	वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें								

(` करोड़ में)

भाग II : परिसम्पत्तियों और देनदारियों का स्टैंडअलोन और समेकित विवरण

		स्टैंडअलोन		समेकित	
क.	इक्विटी और देनदारियां	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार
1	शेयरधारकों की निधियां				
	(क) शेयर पूंजी	1,320.04	1,320.04	1,320.04	1,320.04
	(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	34,445.99	30,899.17	34,708.27	31,091.31
	उप जोड़ – शेयरधारकों की निधियां	35,766.03	32,219.21	36,028.31	32,411.35
2	गैर-चालू देनदारियां				
	(क) दीर्घकालिक ऋण	1,72,549.70	1,64,973.46	1,72,614.57	1,64,995.41
	(ख) आस्थगित कर संबंधी देनदारियां (निबल)	302.06	189.25	301.96	188.27
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	548.75	333.81	548.85	333.81
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	1,229.28	963.61	1,230.59	963.97
	उप जोड़- गैर चालू देनदारियां	1,74,629.79	1,66,460.13	1,74,695.97	1,66,481.46
3	चालू देनदारियां				
	(क) दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	20,363.17	18,735.28	20,474.00	18,735.28
	(ख) अल्पकालिक ऋण	7,571.57	4,064.41	7,571.57	4,064.41
	(ग) व्यापारिक देयताएं	0.00	0.00	69.65	17.04
	(घ) अन्य चालू देनदारियां	7,500.77	6,660.15	7,564.86	6,672.68
	(ड.) अल्पकालिक प्रावधान	805.44	525.23	815.39	529.43
	उप जोड़ – चालू देनदारियां	36,240.95	29,985.07	36,495.47	30,018.84
	कुल – इक्विटी और देनदारियां	2,46,636.77	2,28,664.41	2,47,219.75	2,28,911.65
ख	परिसंपत्तियां				
1	गैर-चालू परिसंपत्तियां				
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां	64.07	65.79	245.11	103.92
	(ख) गैर-चालू निवेश	2,266.73	347.28	1,819.23	23.80
	(ग) दीर्घ कालिक ऋण और अग्रिम	2,00,036.08	1,97,842.91	2,00,380.71	1,97,930.34

	(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	314.98	224.72	375.51	318.91
	उप जोड़ – गैर चालू परिसंपत्तियां	2,02,681.86	1,98,480.70	2,02,820.56	1,98,376.97
2	चालू परिसंपत्तियां				
	(क) चालू निवेश	410.74	504.04	410.74	504.04
	(ख) व्यापारिक प्राप्तियां	0.00	0.00	111.21	28.59
	(ग) नकदी और बैंक में बकाया राशियां	78.45	5,070.80	301.55	5,367.36
	(घ) दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	33,622.15	16,312.09	33,634.42	16,313.83
	(ड.) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	3,803.96	3,006.00	3,792.38	3,006.00
	(ड़) अन्य चालू परिसंपत्तियां	6,039.61	5,290.78	6,148.89	5,314.86
	उप जोड़ – चालू परिसंपत्तियां	43,954.91	30,183.71	44,399.19	30,534.68
	कुल परिसंपत्तियां	2,46,636.77	2,28,664.41	2,47,219.75	2,28,911.65

टिप्पणियां :-	
1	दिनांक 31.03.2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी दिनांक 25.05.2016 को आयोजित की गई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। इन वित्तीय परिणामों की संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।
2	उपर्युक्त 2 (क) में उल्लिखित ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभारों में निम्नलिखित के संदर्भ में दिनांक 31.03.2016 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान शामिल हैं: (i) गैर – निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) क्रमश: 641.70 करोड़ और 933.70 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और वर्ष में क्रमश: 47.81 करोड़ रुपए और 261.33 करोड़ रूपए)। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सकल गैर – निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) 7520.21 करोड़ रु. (दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 2534.33 करोड़ रूपए) है। (ii) मानक परिसंपत्तियां क्रमश: 207.41 करोड़ रूपए और 110.85 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और वर्ष में क्रमश: 25.61 करोड़ और 17.15 करोड़ रूपए) हैं। (iii) पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां क्रमश: 103.00 करोड़ रूपए और 564.77 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और वर्ष में क्रमश: 202.89 करोड़ और 564.43 करोड़ रूपए); और दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अर्हक पुनर्गठन / पुनर्अनुसूचियन / मोलभाव (आर / आर / आर) ऋणों की बकाया राशि निजी क्षेत्र के लिए 21,479.20 करोड़ रु. और सरकारी क्षेत्र के लिए 10,783.78 करोड़ रु. (दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के लिए 20,524.91 करोड़ रु. और सरकारी क्षेत्र के लिए शून्य) है, और (iv) निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान क्रमश: 56.07 करोड़ रूपए और 96.26 करोड़ रूपए (पिछली संगत तिमाही और वर्ष में क्रमश: 1.06 करोड़ रु. और 1.06 करोड़ रु.) है। जहां तक आरबीआई की शर्तों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है, तो कंपनी से प्रावधान को चरणबद्ध ढंग से दिनांक 31.03.2015 को 0.25% से बढ़ाकर 31.03.2018 तक 0.40% तक करने की अपेक्षा है। इस प्रावधान को 0.10% तक बढ़ाने की शर्त वित्तीय वर्ष 2016-17 & 2017-18 के लिए लागू है, परन्तु दिनांक 30.09.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया है, जिसकी पुन: समीक्षा की गई है और प्रावधान को आरबीआई की शर्तों के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को प्रावधान के लिए यथालागू दर अर्थात 0.30% के अनुरूप कर दिया गया है।

3	आर / आर / आर संबंधी शर्तों के लिए आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के जरिए (i) पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परियोजना जीवनकाल विस्तार से जुडी परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि अर्थात 31.03.2017 तक अपनी पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने से छूट प्रदान की है और (ii) आरबीआई ने यह निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों के नए परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता 5% होगी और सभी उत्पादन कंपनियों के लिए 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए दिनांक 31.03.2015 से 2.75% के प्रावधान के साथ प्रोविजनिंग शुरू की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2018 तक 5% तक पहुंच जाएगी; यह प्रावधान अंकित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के अलावा किया गया है। आरबीआई के दिनांक 11.06.2014 के पत्र के जरिए दिए गए निर्देशों के संबंध में कंपनी ने अपने दिनांक 03.07.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपने कार्यान्वयन के ढंग के बारे में सूचित किया है, जिसे कंपनी ने अपने दिनांक 27.11.2014 के पत्र के जरिए फिर से दोहराया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि i) उत्पादन कंपनियों को दिनांक 01.04.2015 से स्वीकृत किए गए सभी नए परियोजना ऋणों को आरबीआई की आर / आर/ आर संबंधी शर्तों के आधार पर विनियमित किया जाएगा, ii) उत्पादन कंपनियों को दिनांक 31.03.2015 तक स्वीकृत किए गए सभी नए परियोजना ऋणों को विद्युत मंत्रालय द्वारा यथानुमोदित आर / आर/ आर संबंधी शर्तों के आधार पर विनियमित किया जाएगा और iii) गैर परियोजना ऋणों को दिनांक 01.04.2015 से आर / आर / आर संबंधी आरबीआई की शर्तों के आधार पर विनियमित किया जाएगा । आरबीआई ने अपने दिनांक 04.02.2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के इस अनुरोध की जांच की जा रही है। कंपनी को आरबीआई से इस मामले में कोई अगला निदेश प्राप्त नहीं हुआ है और तद्नुसार ऊपर बताए गए अनुसार आरबीआई को सूचित किए गए कार्यान्वयन के ढ़ंग के साथ पठित आरबीआई के दिनांक 11.06.2014 के निदेशों के अनुसार आरबीआई की शर्तों का कार्यान्वयन कर रही है। जहां तक आर / आर / आर संबंधी ऐसे ऋणों, जिन पर आरबीआई की शर्तों के अनुसार पुनर्गठन के प्रावधान लागू होते हैं, का संबंध है, तो इनके लिए कंपनी को दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार अपने मौजूदा प्रावधान को 2.75% को दिनांक 31.03.2016, 31.03.2017 और 31.03.2018 तक क्रमश: 3.50%, 4.25% और 5% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। दिनांक 31.12.2015 को समाप्त तिमाही और नौ माह की अवधि के दौरान किए गए 4.25% के इस प्रावधान की पुन: समीक्षा की गई अर्थात 3.50% के अनुरूप किया गया।
4	क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स के लिए आरबीआई ने अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के जरिए केंद्र / राज्य सरकार के निकायों को एक्सपोजर के संबंध में 31.03.2016 तक छूट देने की अनुमति दी है। कंपनी ने अपने दिनांक 22.01.2016 के पत्र के जरिए आरबीआई से अनुरोध किया है कि यह छूट दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ाई जाए और अन्य बातों के साथ साथ सूचित किया है कि कंपनी आरबीआई से आगामी निर्देश प्राप्त होने तक केंद्र / राज्य सरकार के निकायों को एक्सपोजर के संबंध में क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स के लिए अपनी स्वयं की शर्तों

	का अनुपालन करती रहेगी। इस संबंध में आरबीआई ने दिनांक 22.04.2016 के पत्र, जो दिनांक 28.04.2016 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से कंपनी को निर्देश दिया है कि (i) वर्तमान में आरबीआई के क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों के तहत स्वीकार्य स्तरों से अधिक का एक्सपोजर पहले से ही किए गए समझौतों / स्वीकृत सीमाओं के संबंध में उनकी परिपक्वता तक जारी रह सकता है (ii) इस तरह के एक्सपोजर के संबंध में कोई ताजा स्थिति नहीं लेनी चाहिए या ऐसे नए समझौते किए जाने चाहिए जो आरबीआई के एक्सपोजर मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं और (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों के अतिरिक्त मौजूदा या नए उधारकर्ताओं को नए ऋण की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके लिए संबंधित केंद्र सरकार / राज्य सरकार से कोई गारंटी प्राप्त हो और यह संबंधित सरकार के उधार कार्यक्रम का एक हिस्सा हो। हालांकि, दिनांक 17.05.2016 के पत्र के अनुसार यह मामला आरबीआई के साथ फिर से उठाया गया है ताकि सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए दिनांक 31.03.2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों की प्रयोज्यता से कंपनी को छूट प्रदान की जा सके ।
5	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी सं. 002 / 03.10.001 / 2014-15 दिनांक 10.11.2014 के बाद जारी किए गए आरबीआई के दिनांक 30.06.2015 और 10.12.2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए कंपनी के विवेकपूर्ण मानदंडों को ठीक से संशोधित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों के संचालन के लिए कंपनी ने दिनांक 13.08.2015 और 13.01.2016 के पत्रों के जरिए आरबीआई को अपनी समझ के बारे में संप्रेषित किया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, एक ऋण परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्ति को छोड़कर) को एनपीए के रूप में मान्यता दी गई है, अगर यह 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना रहा है, तथापि, 31.03.2016 तक इसे एनपीए के रूप में मान्यता दी गई है यदि यह 5 महीनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है।
6	दिनांक 15.04.2015 को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित एक ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक 17.06.2015 के आदेश के जरिए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित उप मानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया और वर्ष के दौरान खाते में किए गए 339.99 करोड़ रूपए की राशि वाले एनपीए प्रावधान को उसी वर्ष में प्रत्यावर्तित किया गया है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है और जून 2016 में आयोजित की गई पिछली सुनवाई में मामले को स्थगित कर दिया गया है और तदनुसार स्टे जारी है । इसके अलावा, कंपनी द्वारा दिनांक 15.10.2015 और 15.01.2016 को अधिदेय राशि के संबंध में बाद में प्राप्त किए गए कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर कंपनी परिसंपत्ति वर्गीकरण को मानक के रूप में बनाए रखना जारी किए हुए है ।
7	चालू तिमाही के दौरान कंपनी ने प्रत्येक 10 रु. के अंकित मूल्य वाले 50,000 इक्विटी शेयरों की 0.05 करोड रु. की राशि का निवेश दिनांक 31.12.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान स्थापित की गई एक सहायक कंपनी अर्थात झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड में किया है।
8	चालू तिमाही के दौरान पीएफसीसीएल (कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) की तीन सहायक कंपनियों (स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं) अर्थात सिपत ट्रांसमिशन लिमिटेड, रायपुर-राजनादगाव-वॉरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़-डब्लूआर ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिनांक 23.11.2015 को सफल बोलीदाताओं को स्थानांतरित कर दिया गया है।
9	कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करती है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2016 की

	स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 739.74 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 380.56 करोड़ रूपए) है ।
10	कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अपनी प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 6% की दर से अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 0.60 रूपए के अंतिम लाभांश के रूप में 79.20 करोड़ रूपए का भुगतान किया है, बशर्ते कि आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधाराकों द्वारा इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया जाए । तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 139% (पहले घाषित और भुगतान किए गए 133% के अंतरिम लाभांश सहित) अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 13.90 रूपए प्रति शेयर रहा।
11	चालू तिमाही के दौरान कंपनी ने एनर्जी एफिसिऐंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल) (एक संयुक्त उद्यम निकाय) के एकीकृत रूप से 99 करोड़ रूपए की राशि वाले प्रत्येक 10 रूपए के अंकित मूल्य के 9,90,00,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया है। बांड का आवंटन दिनांक 25.04.2016 को किया गया है।
12	कंपनी गैर-परिवर्तनीय बॉंड इश्यू की श्रृंखला सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन बढ़ाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने उधार को चुकाने में चूक नहीं की है। गैर-परिवर्तनीय रुपए मूल्यवर्ग बांड के संबंध में, ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए पिछली नियत तारीखें क्रमशः 31.03.2016 और 17.03.2016 थीं।
13	डीपीई के दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षा के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी सीएसआर नीति के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कार्यकलापों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित किए गए कंपनी के और निबल कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की कम से कम दो प्रतिशत राशि खर्च करना आवश्यक है। तद्नुसार कंपनी द्वारा दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान अपने सीएसआर कार्यकलापों में 157.93 करोड़ रूपए (पिछली संगत तिमाही के दौरान 35.52 करोड़ रूपए) की राशि का व्यय किया गया है।
14	कंपनी के दीर्घकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा लगातार क्रमश: सीआरआईएसआईएल, एएए, आईसीआरए, एएए और सीएआरई एएए की सर्वोच्च रेटिंग दी जा रही है। कंपनी के अल्पकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) को घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा लगातार क्रमश: सीआरआईएसआईएल ए1+, आईसीआरए ए1+ और सीएआरई ए1+ की सर्वोच्च रेटिंग दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा कंपनी को दी गई दीर्घकालिक मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग क्रमश: बीएए3, बीबीबी- और बीबीबी- दी गई हैं, जो कि भारत के लिए संप्रभु रेटिंग के बराबर हैं। वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
15	दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार रिडीम किए जा सकने योग्य प्राथमिकता शेयर शून्य(पिछले साल शून्य) माने जाएं ।

16	व्यापार खंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढ़ांचे को आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपनाई जाने वाली की प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-17 'खंड रिपोर्टिंग' के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यापार फंड के रूप में माना जाता है। अत: इस संबंध में खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।
17	कंपनी के परिणाम की तारीख को समेकित वित्तीय वर्ष में पीएफसी कंसल्टिंग लि., पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, पॉवर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लि. (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां), नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (संयुक्त उद्यम इकाई) के लेखापरीक्षित परिणाम की तारीख और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (संयुक्त उद्यम इकाई) के अनंकेक्षित परिणाम शामिल हैं।
18	दिनांक 31.03.2016 और 31.03.2015 को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़े दिनांक 31.03.2016 और 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित आंकड़ों और दिनांक 31.03.2015 और 31.03.2014 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए अनंकेक्षित आंकडों के बीच संतुलित आंकड़े हैं।
19	कंपनी द्वारा जारी किए गए और 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया सभी सुरक्षित बांडों के लिए कंपनी की विनिर्दिष्ट अचल संपत्तियों और / या प्राप्य वस्तुओं पर प्रभार के रूप में उन्हें बंधक रखकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।
20	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध / पुन: वर्गीकृत किया गया।

	एम. के. गोयल
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिनांक : 25.05.2016	डीआईएन - 00239813